

तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 तथा उत्तर-प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति के मूल्यांकन संशोधन नियमावली 2015 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1020 / म0नि0नि0 / 2017-18 दिनांक 12 जनवरी, 2018 जिसमें शासन के पत्र संख्या- 27(1) / 2018 / XXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 12 जनवरी, 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप जनपद गढ़वाल की तहसील श्रीनगर पूर्व में जारी किए गये सर्किल रेट आदेश संख्या- 186(1) / 2010 / XXXVII(9) / स्टाम्प-80 / 2009 देहरादून दिनांक 02 अगस्त, 2016 संशोधित करते हुए इन तहसीलों हेतु भूमि / भवनों की दरें (सर्किल रेट) निम्नवत् पुनरीक्षित किए जाते हैं। यह दरें 14 जनवरी, 2018 से लगी होंगी। इन दरों (सर्किल रेट) का सम्पूर्ण विवरण NIC पौड़ी वेबसाइट [pauri.nic.in](http://pauri.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

॥ कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल ॥

Email : [dmgarhwal@gmail.com](mailto:dmgarhwal@gmail.com) ph. 01368-222250 Fax - 222080

पत्रांक : 639(1) / स्टाम्प / 2017-18 दिनांक पौड़ी 14, जनवरी, 2018

गतिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- जिला निबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
- 4- उपजिलाधिकारी श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उपनिबन्धक पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 6- तहसीलदार श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- 7- कार्यालय प्रति।

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर गढ़वाल

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर गढ़वाल





## तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

ख / मोहल्ले / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर ₹0 लाख (प्रति है०)		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यवसायिक) भूमि की न्यूनतम दर ₹0 (प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजिली व आवसीय भवन में स्थित आवसीय प्रॉपर्टी (सुपर परिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर ₹0 (सुपर परिया प्रति वर्ग मी) (किराया प्रतिवर्गमी <b>X300+</b> अकृषि भूमि का क्षेत्रवार प्रति वर्गमी)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिस्ठान	गैर वाणिज्यिक भवन की दर ₹0 (प्रति वर्ग मीटर)	
	0 मी से 50 मी तक	51 मी से अधिक	0 मी से 50 मी तक	51 मी से अधिक				प्रथम श्रेणी (पक्का मकान)	द्वितीय श्रेणी/सेमी पक्का /कच्चा मकान)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय मुख्य मोटर मार्ग पुराना श्रीनगर गांव से कोठड गांव सीमा तक सम्मिलित बाजार)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
गणेश बाजार, काला रोड, गुरुद्वारा रोड थाना नन्द सिंह गढ़वाली मार्ग एवं अपर बाजार, गोला जीआर्इ. सी मार्ग सम्मिलित बाजार )	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
नर्सरी रोड, ट्रेजरी रोड, बहुगुणा मार्ग, अलकनंदा मार्गदन्दी रोड कानमेंट मार्ग)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
नगर (बद्रीनाथ मुख्य मोटर मार्ग भलगांव की सीमा से रेली की सीमा तक लोअर भक्तिवाणा )	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
नगर ( पौड़ी मोटर मार्ग भलगांव की सीमा से हहवाल की सीमा तक)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
नगर( पौड़ी चुगी से गांव की आखरी सीमा तक पुगुआड़ी मोटर मार्ग, आमकुंज)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
पुराना गांव की सीमा तक)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
नगर ( केदार मोहल्ला, कमलेश्वर भाग, तीवाड़ी महवाल( पौड़ी मोटर मार्ग पर पुरान श्रीनगर की उफल्डा गांव की सीमा तक अपर भक्तिवाणा, माता रोड )	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000
भलगांव की सीमा से रेवड़ी गांव की सीमा तक सी. कालेज रोड, जल निगम कालोमी रोड एजेन्सी मलास हाउस, सकुल्ड मोहल्ला वासवाडा.)	14.3	13.8	6890	6058	18890	51890	45590	12000	11000

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर, गढ़वाल





मुख्य /मौहल्ले /राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर रू० लाख (प्रति है०)		प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय/व्यवसायिक) भूमि की न्यूनतम दर रू० (प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजिली व आवसीय भवन में स्थित आवसीय प्लॉट (सुपर परिभा प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यक भवन की दर रू० (सुपर परिभा प्रति वर्ग मी) (किचनया प्रतिवर्गमी <b>X300+</b> अकृषि भूमि का क्षेत्रवार प्रति वर्गमी टुकान /रेस्टोरेल्डन /कार्यालय	अन्य वाणिज्यक प्रतिस्ठान	नैर वाणिज्यक भवन की दर रू० (प्रति वर्ग मीटर)	
	0 मी से 50 मी तक	51 मी से अधिक	0 मी से 50 मी तक	51 मी से अधिक				प्रथम श्रेणी (पक्का भकान)	द्वितीय श्रेणी/सेमी पक्का /कच्चा भकान)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(मुख्य बर्दीनाथ मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी बुगाड़ी के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र)	14.3	13.8	5226	4850	15730	50226	43550	12000	11000
1 (बर्दीनाथ मोटर मुख्य मोटर मार्ग से लिक डी- बुगाड़ी मोटर मार्ग के मध्य का क्षेत्र डाक मंहादेव)	14.3	13.8	5226	4850	15730	50226	43550	12000	11000
बर्दीनाथ मुख्य मोटर मार्ग पर कोठड़ की सीमा गांव की सीमा के मध्य पड़ने वाला मंहादेव)	14.3	13.8	5226	4850	15730	50226	43550	12000	11000
बर्दीनाथ मुख्य मोटर मार्ग पर रेवड़ी की सीमा गंगानली की सीमा के मध्य पड़ने वाला क्षेत्र)	14.3	13.8	5226	4850	15730	50226	43550	12000	11000
गंगानली (बर्दीनाथ मुख्य मोटर मार्ग पर ग्राम ली नी सीमा से ग्राम रवीत की सीमा तक)	14.3	13.8	5226	4850	15730	50226	43550	12000	11000

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर, गाढ़वाल





## तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल रेट)

ले / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर ₹0 लाख (प्रति हे०)					प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यवसायिक) भूमि की न्यूनतम दर ₹0 (प्रति वर्ग मी०)					कुर्मीजली व आवसीय भवन में स्थित आवसीय प्लैट ₹0 (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वणिज्यक भवन की दर ₹0 (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी) (किराया प्रतिवर्गमी <b>x300+</b> अकृषि भूमि का क्षेत्रवार प्रति वर्गमी)	अन्य वाणिज्यक प्रतिस्ठान	गैर वाणिज्यक भवन की दर ₹0 (प्रति वर्ग मीटर)			
	0 मी से 50 मी तक	51मी से 200 मीटर तक	201 मी से अधिक	0 मी से 50 मी तक	51मी से 200 मीटर तक	201 मी से अधिक	9	10	11	12 प्रथम श्रेणी (पक्का मकान)				13 द्वितीय श्रेणी(सेमी पक्का /कच्चा मकान)			
2 श्रीनगर मोटर मार्ग धौवीघाट म सीमा तक																	
3 श्रीनगर मोटर मार्ग धौवी घाट से टर के मध्य का क्षेत्र)	14.3	13.8	13.62	3783	3619	3455	15288	46983	41283	11505	10580						
4 श्रीनगर मोटर मार्ग उफला गांव की अन्तिम सीमा मार्ग	14.3	13.8	13.62	1811	1733	1653	13316	44411	39233	11505	10580						
5 डी धनचडा (देहलनवारी वैद्यगांव की सीमा से ही अन्तिम सीमा तक)	14.3	13.8	13.62	1811	1733	1653	13316	44411	39233	11505	10580						
6 नगरीपथ कलीयासौड़, तहसील श्रीनगर के अन्तर्गत विकेश बदीनाथ मुख्य मोटर मार्ग)	11.44	11.00	10.90	644	616	588	12149	41144	37516	11505	10580						
7 वाड खिसू दिखालिया, वैशेष ग्राम																	

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर, गढ़वाल





## तहसील श्रीनगर जनपद पौड़ी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु मूल्यांकन की सूची (सर्किल स्टे)

ले / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग पर स्थित कृषि भूमि की न्यूनतम दर ₹00 (प्रति वर्ग मी0)			प्रमुख मार्ग पर स्थित अकृषि भूमि (आवसीय / व्यवसायिक) भूमि की न्यूनतम दर ₹00 (प्रति वर्ग मी0)			कुर्भोजिली व आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लॉट ₹00 (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर ₹00 (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी0) (किरया प्रतिवर्गमी <b>X300+</b> अकृषि भूमि का क्षेत्रवार प्रति वर्गमी		नगर वाणिज्यिक भवन की दर ₹00 (प्रति वर्ग मीटर)	
	0 मी से 50 मी तक	51 मी से 200 मीटर तक	201 मी से अधिक	0 मी से 50 मी तक	51 मी से 200 मीटर तक	201 मी से अधिक		छुकान / रेस्टोरेन्टन / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		प्रथम श्रेणी (पक्का मकान)
2 नाथ मुख्य मार्ग से तिक मार्ग मोटर मार्ग पर पड़ने वाले एवं समीपवर्ती ग्राम ( ) नी, तपराड़ी, जसपुर पंचर, नास- गुन्ड विद्याकोटी, धरास, देवलगाढ़-भटोली -बुधाणी र्ग पर पड़ने वाले राजस्व ग्राम ग्राम ( खोला, रवाड़ी लगा भटोली, गुरु-लगा लगा गोसाती, टक्कोली, नौली, खोली ,भस्कोट, मंदोली, गरखोला, गाना, गाढ़-लगा ड, घाल, आल्हा, कान्डा लगा गोड़ा, देवलगाढ़, मलेठा)	3 <b>9.00</b>	4 <b>8.70</b>	5 <b>8.51</b>	6 <b>462</b>	7 <b>453</b>	8 <b>441</b>	9 <b>10511</b>	10 <b>35562</b>	11 <b>31953</b>	12 <b>10049</b>	13 <b>9240</b>

(सुशाल कुमार)  
कलेक्टर, गढ़वाल





1 - बुगाड़ी मोटर मार्ग पर ख ग्राम एवं समीपवर्ती ग्राम ( पिावाग, पोल्ती लगगा केसू,दिकवाल गांव, बच्छेली, चमसेरा, चडीगांव, माडी,नकोट-लगगा खालू, गालगढ, मासू लगगा नयालगढ, खालो,चमराडा,मासो गाल दांढपी, अंसिनी,कभेडा, ठुडूड,देवधर,चमालयूं धेपला,मुल्वाण गाली,डुली-सीड,डुगरा, नी-मल्ली, ककोली,चमला )	9.00	8.70	8.51	462	453	441	10511	35562	31953	10049	9240
री-जनशु-खन्दूखाल मोटर ले राजस्व ग्राम एवं समीपवर्ती (सेली, जनाशु, बोलकडी,अरकन्डी, दिगोली, मज्जकोट,कन्डोली, गवाली, मलगगा- मरगांव, कोल्यान नूड, बेडुल्ला, साफल्ला,कांडा दी-लगगा स्वाडू, मुलन्या- जगांव, देल बसूली.)	9.00	8.70	8.51	462	453	441	10511	35562	31953	10049	9240
दुदेसु -कोटी मोटर मार्ग पर ( मंगलाकोटी,पोखरी ,भाड्डई, ली,हवालीधार-लगगा पोखरी, भट्टाखोली, खाला,मसोली, ली तल्ली,चमोतयों गूठ)	9.00	8.70	8.51	462	453	441	10511	35562	31953	10049	9240

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर, गढ़वाल





# गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्यांकन निम्न सूची के अनुसार देय होगा

अनुसार देय होगा, जिसका फार्मूला निम्नलिखित है :-

की निम्न सारणी भवन की अनुमानिता आयु- 100 वर्ष मान कर किया गया है।

में द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचारित सूत्र :-  $D=P(1-RD/100)^N$

$RD = \frac{\text{भवन की औसत आयु}}{100}$

100

मूल्य (Depreciated Value)	P = वर्तमान मूल्य	N = कितने वर्ष पुराना (Actual Age of Building)	51 वर्ष	52 वर्ष	53 वर्ष	54 वर्ष	55 वर्ष	56 वर्ष	57 वर्ष	58 वर्ष	59 वर्ष	60 वर्ष	61 वर्ष	62 वर्ष	63 वर्ष	64 वर्ष	65 वर्ष	66 वर्ष	67 वर्ष	68 वर्ष	69 वर्ष	70 वर्ष	71 वर्ष	72 वर्ष	73 वर्ष	74 वर्ष	75 वर्ष	76 वर्ष	77 वर्ष	78 वर्ष	79 वर्ष	80 वर्ष	81 वर्ष	82 वर्ष	83 वर्ष	84 वर्ष	85 वर्ष	86 वर्ष	87 वर्ष	88 वर्ष	89 वर्ष	90 वर्ष	91 वर्ष	92 वर्ष	93 वर्ष	94 वर्ष	95 वर्ष	96 वर्ष	97 वर्ष	98 वर्ष	99 वर्ष	100 वर्ष	
0.990		26 वर्ष	0.770	0.598	0.592	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366
0.980		27 वर्ष	0.762	0.592	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366	
0.970		28 वर्ष	0.754	0.587	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366		
0.960		29 वर्ष	0.747	0.581	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366			
0.950		30 वर्ष	0.739	0.575	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366				
0.941		31 वर्ष	0.731	0.569	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366					
0.932		32 वर्ष	0.724	0.563	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366						
0.927		33 वर्ष	0.717	0.558	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366							
0.913		34 वर्ष	0.710	0.552	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366								
0.904		35 वर्ष	0.703	0.547	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366									
0.890		36 वर्ष	0.696	0.541	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366										
0.880		37 वर्ष	0.689	0.536	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366											
0.870		38 वर्ष	0.682	0.530	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366												
0.868		39 वर्ष	0.675	0.525	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366													
0.860		40 वर्ष	0.668	0.518	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366														
0.851		41 वर्ष	0.662	0.515	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366															
0.842		42 वर्ष	0.655	0.509	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																
0.834		43 वर्ष	0.649	0.504	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																	
0.826		44 वर्ष	0.642	0.499	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																		
0.817		45 वर्ष	0.636	0.494	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																			
0.809		46 वर्ष	0.629	0.489	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																				
0.801		47 वर्ष	0.623	0.484	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																					
0.793		48 वर्ष	0.617	0.480	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																						
0.785		49 वर्ष	0.611	0.475	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																							
0.777		50 वर्ष	0.605	0.470	0.465	0.461	0.456	0.452	0.447	0.443	0.438	0.434	0.429	0.425	0.421	0.417	0.412	0.408	0.404	0.400	0.396	0.392	0.388	0.384	0.381	0.377	0.373	0.369	0.366																								

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर गढ़वाल







### सामान्य अनुदेशिका

मूल्यांकन सूची का भाग है।

कृषि / अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गई है, किन्तु यदि :-

कृषि / अकृषि भूमि व बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

कृषि / अकृषि भूमि व बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

कृषि / अकृषि भूमि व बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 15 मीटर या अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के स्थित है तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

कृषि / अकृषि भूमि व बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

कृषि / अकृषि भूमि व बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट तथा वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

वाणिज्यिक भवन में स्थित टुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सुपर एरिया प्रति वर्ग के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जाएगा।

मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढ़ियाँ (Escalators) का प्रयोग हुआ हो को छोड़कर बहुखण्डीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अंतर्गत सम्पत्ति में ग्राउन्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के सामान दरें प्रभावी होगी जबकि बेसमेंट व प्रथम तल, द्वितीय तल होने कि दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाइ के सम्पूर्ण मूल्यांकन में क्रमशः :- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाइ के सम्पूर्ण अंगणित कन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

टुकान / वाणिज्यिक के मूल्यांकन किए जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों दरें मिलित है के अनुसार एवं अनुदानक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषित भूमि हेतु निर्धारित दर के 1.10 गुणा दर के आधार पर आंकलित किया जाएगा।

व्यावसायिक सम्पत्ति जो कि वाणिज्यिक परिसर का भाग न हो के अन्तर्गत विलेख में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर दर प्रभावी होगी तथा लोअर ग्राउन्ड फ्लोर अपर ग्राउन्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के सामान दरें प्रभावी होगी जबकि बेसमेंट व प्रथमतल, द्वितीय तल पर होने शर्त में ऐसी वाणिज्यिक इकाई से सम्पूर्ण अंगणित मूल्यांकन में क्रमशः :- 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी

व्यावसायिक इकाई के सम्पूर्ण अंगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि में श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।

(सुशील कुमार)  
कलक्टर गढ़वाल







प्रदेश वित्त निगम, उत्तरप्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसमपत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमान्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णितओं के द्वारा निर्धारित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निषादन की तिथी में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख प्रा जाना अनिवार्य होगा।

कन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य के दोनो ओर की दूरी का मानक उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (तथा उत्तराखण्ड में लागू) तथा संशोधित उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का कन)(संशोधन) नियमावली 2015 में निर्धारित मानकों के अनुरूप जिला स्तर पर जिले के कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

कन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के खसरा नम्बरान की सूची बिन्दु संख्या 8 में जिले के टर द्वारा निर्धारित दूरी के मानक के अनुसार सर्किल दर सूची में संलग्न की जायेगी तथा उक्त में अंकित खसरा नम्बरान की दूरी के आधार पर लेखपत्रों के द्वारा अन्तरित सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त से अन्यथा दूरी प्रदर्शित कर मूल्यांकन किये जाने की स्थिति में लेखपत्र की प्रति स्टाम्प एक्ट के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत की कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रेषित की जायेगी।

या अकृषि मूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक मूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुनी होगी। उक्त हेतु य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।

भी प्रकार की भूमि / आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि / आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर जायेगी।

जलीय आवासीय परिसर में स्थित पलैट / बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर / बहुमंजिली ज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

व में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के आवासीय / आर्थिक / गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राधिकरण / संस्था / विकास करण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा एवं ऐसे स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लाइसेन्स प्रान्त ड्रापटमैन द्वारा अच्छी ला के श्वेत कागज पर मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र अनिवार्य रूप से विलेख संलग्न किया जायेगा एवं जिस भवन का निर्माण बहुत पुराना हो तथा ग स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध न हो, उस दशा में लाइसेन्स प्रान्त ड्रापटमैन द्वारा अच्छी गुणवत्ता के श्वेत कागज पर निर्मित मानचित्र अथवा पक्षकारों के द्वारा हस्तान्तरित चित्र अनिवार्य रूप से विलेख के संलग्न किया जायेगा तथा निर्माण की श्रेणी के सम्बन्ध में लिन्टर पोश, टीन पोश अथवा पलैट होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

को तात्पर्य उत्तरप्रदेश ऑनरशिप ऑफ पलैटएक्ट 1975 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।

/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर की सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा रित भूमि / सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी / क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख करना अनिवार्य कि अन्तरित भूमि / सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियों / मोहल्लो / क्षेत्रों में स्थित नहीं है।

ल्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।

की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारिणी संलग्न है) उसको अंकित किया जाना अनिवार्य होगा उक्त के व में कोई क्षरण देय नहीं होगा। पलैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।

(सुशील कुमार)  
कलेक्टर गढ़वाल







झीवाल के स्थित होने पर रुपये 1100 / रनिंग मीटर की दर से मूल्यकन किया जायेगा।

में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग मूल्यांकन जिला स्तर पर जिले के कलक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो कि 11,000 / -रु0 निर्धारित है।

पोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।

भी औद्योगिक इकाई में निहित निर्माण का मूल्यांकन, निर्माण की प्रकृति यथा लिन्टरपोश, टीनपोश निर्माण हेतु मूल्यांकन सूची में अंकित दर के अनुसार किया जायेगा।

भी औद्योगिक इकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त इकाई में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गर्वमेन्ट एप्रूव्ड वेल्डर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।

कन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग / क्षेत्र वार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति की

1 की निर्धारित दरों के अनुसार उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।

कन सूची में किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गई है तो विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति के समीपस्थ स्थल पर स्थित भूमि / सम्पत्ति के प्रकृति हेतु

रित दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।

कन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों / प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गए भवनों से है जहाँ से उन कम्पनियों /

ठानों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्याकलापों का संचालन किया जाता है तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प ( सम्पत्ति का मूल्यांकन ) (संशोधन) नियमावली 2015 में यथा

स्थित है।

विलेख पर स्टाम्प शुल्क कि प्रभारिता या उस पर प्रभाव शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।

कन सूची में नागरिकों की सुविधा हेतु अंकित किये जाने वाले निम्नवत तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा।

विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के मूल्यांकन सूची में वर्णित क्षेत्रों यथा नगरीय / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण आदि में स्थित भूमि / सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना

र्प्य होगा।

विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति के कृषि / अकृषि / आवासीय / अनावसीय / व्यावसायिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1 - दुकान, 2 - रेस्टोरेन्ट, 3 - कार्यालय तथा अन्य वे सभी

जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति का नगर पालिका खाता संख्या / बन्दोबस्त संख्या / खसरा संख्या / खेवट संख्या / राजस्व ग्राम सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित

एवं विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि / सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा) चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य

विलेख में वर्णित भूमि / सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क - सड़कों / मार्ग / मार्गों की चौड़ाई (मीटर में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ ऐसे विलेखों, जिनमें स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत सर्किल दर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है में

1 किया जाना अनिवार्य होगा, जो विलेख का भाग माना जायेगा।

(सुशील कुमार)  
कलक्टर, गढ़वाल



